राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(6)गृह–1/2022 (8106)   जयपुर, दिनांक :

<u>आदेश</u>

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2022–23 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.11.2022 के समय श्री मनीष चारण/हिंगलाजदान, पुलिस निरीक्षक के विरूद्व महानिदेशक पुलिस के आदेश क्रमांक 6303–05 दिनांक 27. 12.2021 द्वारा अन्तर्गत नियम 16/18 सीसीए में विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण समिति द्वारा पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई है।

उक्त विचाराधीन विभागीय जांच में महानिदेशक पुलिस के आदेश क्रमांक 4977–82 दिनांक 06.11.2023 के द्वारा श्री चारण को दोषमुक्त किया गया है। इस कारण राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2022–23 की दिनांक 22.11.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री चारण की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री मनीष चारण को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2022–23 में दिनांक 01.06.2022 की रिक्ति के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री कैलाशदान चारण/अर्जुन दान, (सामान्य) के नीचे एवं श्री धर्मराज चौधरी/गोवर्धन लाल (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री मनीष चारण, आरपीएस को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.01.08 18:36:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5305670